

लोक सभा

समाचार- भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 24 जून, 2024/ 3, आषाढ़ 1946 (शक)

संख्या 1

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. मौन

अठारहवीं लोक सभा की पहली बैठक के पुनीत अवसर पर थोड़ी देर के लिए मौन रखा गया।

3. सामयिक अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

सामयिक अध्यक्ष ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:-

"मैं अठारहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। मुझे सभी सदस्यों का स्वागत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस सदन की उच्च परंपराओं को कायम रखने में अध्यक्षपीठ की सहायता करेंगे और इस प्रकार हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की इमारत और जड़ों को सुदृढ़ करेंगे।

मैं आपके प्रयासों में पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।"

4. लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची

महासचिव ने 2024 के साधारण निर्वाचन में 18वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक सूची (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पूर्वाहन 11.04 बजे

5. सभापति तालिका

सामयिक अध्यक्ष ने यह उद्घोषणा की कि माननीय राष्ट्रपति ने सभापति तालिका में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है:-

- (1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश
- (2) श्री टी. आर. बालू
- (3) श्री राधामोहन सिंह
- (4) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
- (5) श्री सुदीप बंदोपाध्याय

6. लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र

सामयिक अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि अध्यक्ष को केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री राहुल गांधी का दिनांक 17 जून, 2024 का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया था और अध्यक्ष ने 18 जून, 2024 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

7. सामयिक अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

(एक) सामयिक अध्यक्ष ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:-

"अब महासचिव द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के प्रयोजनार्थ सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे,

1. सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री का नाम सर्वप्रथम पुकारा जाएगा,

2. तत्पश्चात्, सभापति तालिका के सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे,
3. तत्पश्चात्, कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा राज्य मंत्री,
4. तत्पश्चात्, अन्य सदस्यों के नाम वर्णमाला क्रमानुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पुकारे जाएंगे।

जो सदस्य पहली बार पुकारे जाने पर शपथ नहीं ले पाते हैं अथवा प्रतिज्ञान नहीं कर पाते हैं, उनका का नाम अंत में पुनः पुकारा जाएगा। यदि किसी सदस्य का नाम सही नहीं पुकारा जाता है, तो कृपया इसे क्षमा कर दिया जाए।"

(दो) सामयिक अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की प्रक्रिया के बारे में भी उद्घोषणा की।

पूर्वाहन 11.06 बजे

8. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रपति के समक्ष पहले ही शपथ ग्रहण कर लेने के बाद सभा की बैठक प्रारंभ होने पर सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों को नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेन्द्र मोदी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
2.	श्री राधामोहन सिंह	पूर्वी चम्पारण	बिहार	शपथ	हिन्दी
3.	डॉ. फग्वन सिंह कुलस्ते	मंडला (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी

4.	श्री राज नाथ सिंह	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
5.	श्री अमित शाह	गांधीनगर	गुजरात	शपथ	हिन्दी
6.	श्री नितिन जयराम गडकरी	नागपुर	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
7.	श्री शिवराज सिंह चौहान	विदिशा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
8.	श्री मनोहर लाल	करनाल	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
9.	श्री एच.डी. कुमारस्वामी	मान्ड्या	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
10.	श्री पीयूष गोयल	मुंबई उत्तर	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
11.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	सम्बलपुर	ओडिशा	शपथ	उड़िया
12.	श्री जीतन राम मांझी	गया (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
13.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	मुंगेर	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
14.	श्री सर्बानंद सोनोवाल	डिब्रूगढ़	असम	शपथ	असमिया
15.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
16.	श्री किंजरापु राममोहन नायडू	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
17.	श्री प्रहलाद जोशी	धारवाड़	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
18.	श्री जुएल ओराम	सुन्दरगढ़	ओडिशा	शपथ	उड़िया

19.	श्री गिरिराज सिंह	बेगूसराय	बिहार	शपथ	हिन्दी
20.	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	गुना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
21.	श्री भूपेन्द्र यादव	अलवर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
22.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जोधपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
23.	सुश्री अन्नपूर्णा देवी	कोडरमा	झारखंड	प्रतिज्ञान	हिन्दी
24.	श्री किरेन रिजिजू	अरुणाचल पश्चिम	अरुणाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
25.	डॉ. मनसुख मांडविया	पोरबंदर	गुजरात	शपथ	हिन्दी
26.	श्री गंगापुरम किशन रेड्डी	सिकन्दराबाद	तेलंगाना	शपथ	तेलुगु
27.	श्री चिराग पासवान	हाजीपुर (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
28.	श्री सी. आर. पाटिल	नवसारी	गुजरात	शपथ	गुजराती
29.	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	गुडगांव	हरियाणा	प्रतिज्ञान	हिन्दी
30.	डॉ. जितेंद्र सिंह	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	शपथ	डोगरी
31.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	बीकानेर (अ.जा.)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
32.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	बुलढाणा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी

33.	श्री जितिन प्रसाद	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
34.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	उत्तर गोवा	गोवा	शपथ	संस्कृत
35.	श्री पंकज चौधरी	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
36.	श्री कृष्ण पाल	फरीदाबाद	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
37.	श्री नित्यानन्द राय	उजियारपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी
38.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
39.	श्री वी. सोमन्ना	टुमकुर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
40.	डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	तेलुगु
41.	प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	आगरा (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
42.	श्रीमती शोभा कारान्दलाजे	बंगलौर उत्तर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
43.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	गोन्डा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
44.	श्री शान्तनु ठाकुर	बनगांव (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
45.	श्री सुरेश गोपी	त्रिस्सूर	केरल	शपथ	मलयालम
46.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा (अ.जा.)	उत्तराखंड	शपथ	हिन्दी
47.	श्री बंडि संजय कुमार	करीमनगर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगु
48.	श्री कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
49.	श्री भागीरथ चौधरी	अजमेर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी

50.	श्री संजय सेठ	राँची	झारखंड	शपथ	हिन्दी
51.	श्री दुर्गादास (डी.डी.) उइके	बैतूल (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
52.	श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	रावेर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
53.	डॉ. सुकान्त मजूमदार	बालूरघाट	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
54.	श्रीमती सावित्री ठाकुर	धार (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
55.	श्री तोखन साहू	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
56.	श्री राज भूषण चौधरी	मुजफ्फरपुर	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
57.	श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा	नरसापुरम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
58.	श्री हर्ष मल्होत्रा	पूर्वी दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
59.	श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया	भावनगर	गुजरात	शपथ	गुजराती
60.	श्री मुरलीधर मोहोल	पुणे	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
61.	श्री बिष्णु पद राय	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शपथ	हिन्दी
62.	डॉ. गुम्मा तनुजा रानी	अराकु	आंध्र प्रदेश	शपथ	हिन्दी

63.	श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी	विज़ियानगरम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
64.	श्री श्रीभरत मथुकुमिली	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
65.	श्री सी. एम. रमेश	अनकापल्ले	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
66.	श्री तंगेला उदय श्रीनिवास	ककिनाडा	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
67.	श्री गांती हरीश मधुर बालयोगी	अमलापुरम (अ.जा.)	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
68.	श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी	राजामुन्दरी	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
69.	श्री पुट्टा महेश कुमार	एलुरु	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
70.	श्री बालाशौरी वल्लभनेनी	मछलीपटनम	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	तेलुगु
71.	श्री केसिनेनी शिवनाथ (चीनी)	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
72.	श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू	नरसाराओपेट	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु

(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

73.	श्री टेन्नेटी कृष्ण प्रसाद	बापतला (अजा)	आंध्र प्रदेश	शपथ	संस्कृत
74.	श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी	ओंगोले	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
75.	डॉ. बायरेड्डी शबरी	नान्दयाल	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
76.	श्री बस्तीपति नागराजू	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु

पंचालिंगाला

77.	श्री अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि	अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
78.	श्री बी. के. पार्थसारथी	हिन्दुपुर	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
79.	श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
80.	श्री गुरुमूर्ति मड्डीला	तिरुपति (अ.जा.)	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
81.	श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी	राजमपेट	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
82.	श्री डग्गुमल्ला प्रसाद राव	चित्तूर (अ.जा.)	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
83.	श्री तापिर गाव	अरुणाचल पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
84.	श्री जयन्त बसुमतारी	कोकराझार (अ.ज.जा.)	असम	प्रतिज्ञान	असमिया
85.	मोहम्मद रकिबुल हुसैन	धुबरी	असम	शपथ	असमिया
86.	श्री फणी भूषण चौधरी	बारपेटा	असम	शपथ	असमिया
87.	श्री दिलीप शङ्कीया	दारंग-उदालगुडी	असम	शपथ	संस्कृत
88.	श्रीमती बिजुली कलिता मेधी	गुवाहाटी	असम	शपथ	असमिया
89.	श्री अमरसिंग टिस्सो	डिफू (अ.ज.जा.)	असम	शपथ	अंग्रेजी
90.	श्री कृपानाथ मल्लाह	करीमगंज	असम	शपथ	हिन्दी
91.	श्री परिमल शुक्लबैद्य	सिल्चर (अ.जा.)	असम	शपथ	बांग्ला

92.	श्री प्रद्युत बोरदोलोई	नगांव	असम	शपथ	असमिया
93.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	काजीरंगा	असम	शपथ	असमिया
94.	श्री रंजीत दत्ता	सोनितपुर	असम	शपथ	असमिया
95.	श्री प्रदान बरुआ	लखीमपुर	असम	शपथ	असमिया
96.	श्री गौरव गोगोई	जोरहाट	असम	शपथ	असमिया
97.	श्री सुनील कुमार	वाल्मीकि नगर	बिहार	शपथ	हिन्दी
98.	डॉ. संजय जायसवाल	पश्चिम चम्पारण	बिहार	शपथ	हिन्दी
99.	श्रीमती लवली आनंद	शिवहर	बिहार	शपथ	मैथिली
100.	श्री देवेश चन्द्र ठाकुर	सीतामढ़ी	बिहार	शपथ	हिन्दी
101.	श्री अशोक कुमार यादव	मधुबनी	बिहार	शपथ	मैथिली
102.	श्री रामप्रीत मंडल	झंझारपुर	बिहार	शपथ	मैथिली
103.	श्री दिलेश्वर कामैत	सुपौल	बिहार	शपथ	हिन्दी
104.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	अररिया	बिहार	शपथ	हिन्दी
105.	श्री मोहम्मद जावेद	किशनगंज	बिहार	शपथ	अंग्रेजी
106.	श्री तारिक अनवर	कटिहार	बिहार	शपथ	हिन्दी
107.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	मधेपुरा	बिहार	शपथ	हिन्दी
108.	श्री गोपाल जी ठाकुर	दरभंगा	बिहार	शपथ	मैथिली

109.	श्रीमती वीणा देवी	वैशाली	बिहार	शपथ	हिन्दी
110.	डॉ. आलोक कुमार सुमन	गोपालगंज (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
111.	श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी	सिवान	बिहार	शपथ	हिन्दी
112.	श्री जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"	महराजगंज	बिहार	शपथ	हिन्दी
113.	श्री राजीव प्रताप रूडी	सारण	बिहार	शपथ	हिन्दी
114.	सुश्री शाम्भवी चौधरी	समस्तीपुर (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
115.	श्री राजेश वर्मा	खगड़िया	बिहार	शपथ	हिन्दी
116.	श्री अजय कुमार मंडल	भागलपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी
117.	श्री गिरिधारी यादव	बाँका	बिहार	शपथ	हिन्दी
118.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	नालन्दा	बिहार	शपथ	हिन्दी
119.	श्री रवि शंकर प्रसाद	पटना साहिब	बिहार	शपथ	हिन्दी
120.	श्रीमती मीसा भारती	पाटलिपुत्र	बिहार	शपथ	हिन्दी
121.	श्री सुदामा प्रसाद	आरा	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
122.	श्री सुधाकर सिंह	बक्सर	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
123.	श्री मनोज कुमार	सासाराम (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
124.	श्री राजा राम सिंह	काराकाट	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
125.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जहानाबाद	बिहार	शपथ	हिन्दी
126.	श्री अभय कुमार सिन्हा	औरंगाबाद	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी

127.	श्री विवेक ठाकुर	नवादा	बिहार	शपथ	हिन्दी
128.	श्री अरुण भारती	जमुई (अ.जा.)	बिहार	शपथ	हिन्दी
129.	श्री मनीष तिवारी	चंडीगढ़	चंडीगढ़	शपथ	पंजाबी
130.	श्री चिन्तामणि महाराज	सरगुजा (अ.ज.जा.)	छत्तीसगढ़	शपथ	संस्कृत
131.	श्री राधेश्याम राठिया	रायगढ़ (अ.ज.जा.)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
132.	श्री कमलेश जांगड़े	जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
133.	श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत	कोरबा	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
134.	श्री संतोष पाण्डेय	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
135.	श्री विजय बघेल	दुर्ग	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
136.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	रायपुर	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
137.	श्रीमती रूपकुमारी चौधरी	महासमुन्द	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
138.	श्री महेश कश्यप	बस्तर (अ.ज.जा.)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
139.	श्री भोजराज नाग	कॉंकेर (अ.ज.जा.)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
140.	श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई	दादरा और नागर हवेली (अ.ज.जा.)	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	शपथ	हिन्दी
141.	श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल	दमन और दीव	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	शपथ	हिन्दी

142.	श्री प्रवीन खण्डेलवाल	चाँदनी चौक	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
143.	श्री मनोज तिवारी	उत्तर-पूर्व दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
144.	सुश्री बांसुरी स्वराज	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	संस्कृत
145.	श्री योगेन्द्र चांदोलिया	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली (अ.जा.)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
146.	श्रीमती कमलजीत सहरावत	पश्चिम दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
147.	श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी	दक्षिण दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	हिन्दी
148.	श्री कैप्टन विरियातो फर्नांडीस	दक्षिण गोवा	गोवा	शपथ	कोंकणी
149.	श्री विनोद लखमशी चावडा	कच्छ (अ.जा.)	गुजरात	शपथ	गुजराती
150.	श्रीमती गेनीबेन नगाजी ठाकोर	बनासकांठा	गुजरात	शपथ	हिन्दी
151.	श्री डाभी भरतसिंहजी शंकरजी	पाटण	गुजरात	शपथ	गुजराती
152.	श्री हरीभाई पटेल	महेसाणा	गुजरात	शपथ	हिन्दी
153.	श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया	साबरकांठा	गुजरात	शपथ	हिन्दी
154.	श्री हसमुखभाई पटेल (एच. एस. पटेल)	अहमदाबाद पूर्व	गुजरात	शपथ	गुजराती

155.	श्री दिनेशभाई मकवाणा	अहमदाबाद (अ.जा.)	पश्चिम	गुजरात	शपथ	हिन्दी
156.	श्री चंदुभाई छगननाई शिहोरा	सुरेन्द्रनगर		गुजरात	शपथ	हिन्दी
157.	श्री परषोत्तमभाई रुपाला	राजकोट		गुजरात	शपथ	गुजराती
158.	श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम	जामनगर		गुजरात	शपथ	गुजराती
159.	श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा	जूनागढ़		गुजरात	शपथ	गुजराती
160.	श्रीमती नीमुबेन जयंतीभाई बंभानिया	भावनगर		गुजरात	शपथ	हिन्दी
161.	श्री मितेष पटेल बकाभाई	आणंद		गुजरात	शपथ	गुजराती
162.	श्री देवुसिंह जेसिंहभाई चौहान	खेडा		गुजरात	शपथ	संस्कृत
163.	श्री राजपालसिंह महेन्द्रसिंह जादव	पंचमहल		गुजरात	शपथ	हिन्दी
164.	श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर	दाहोद (अ.ज.जा.)		गुजरात	शपथ	हिन्दी
165.	डॉ. हेमांग जोशी	वडोदरा		गुजरात	शपथ	संस्कृत
166.	श्री जशुभाई भीलूभाई राठवा	छोटाउदेपुर (अ.ज.जा.)		गुजरात	शपथ	गुजराती

167.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	भरूच	गुजरात	शपथ	हिन्दी
168.	श्री वसावा परभुभाई नागरभाई	बारडोली (अ.ज.जा.)	गुजरात	शपथ	हिन्दी
169.	श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल	सुरत	गुजरात	शपथ	गुजराती
170.	श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल	वलसाड (अ.ज.जा.)	गुजरात	शपथ	हिन्दी
171.	श्री वरुण चौधरी	अम्बाला (अ.जा.)	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
172.	श्री नवीन जिन्दल	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
173.	कुमारी सैलजा	सिरसा (अ.जा.)	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
174.	श्री जय प्रकाश (जेपी)	हिसार	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
175.	श्री सतपाल ब्रह्मचारी	सोनीपत	हरियाणा	शपथ	संस्कृत
176.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	रोहतक	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
177.	श्री धर्मबीर सिंह	भिवानी-महेन्द्रगढ़	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
178.	डा. राजीव भारद्वाज	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
179.	सुश्री कंगना रनौत	मण्डी	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
180.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
181.	श्री सुरेश कुमार कश्यप	शिमला (अ.जा.)	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
182.	श्री आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	शपथ	कश्मीरी
183.	श्री मियां अल्ताफ अहमद	अनन्तनाग-राजौरी	जम्मू एवं कश्मीर	शपथ	उर्दू

			कश्मीर		
184.	श्री जुगल किशोर	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	शपथ	डोगरी
185.	श्री विजय कुमार हाँसदा	राजमहल (अ.ज.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
186.	श्री नलिन सोरेन	दुमका (अ.ज.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
187.	श्री निशिकान्त दुबे	गोड्डा	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
188.	श्री काली चरण सिंह	चतरा	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
189.	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी	गिरिडीह	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
190.	श्री दुलू महतो	धनबाद	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
191.	श्री बिद्युत वरण महतो	जमशेदपुर	झारखण्ड	शपथ	बांग्ला
192.	श्रीमती जोबा माझी	सिंहभूम (अ.ज.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
193.	श्री काली चरण मुण्डा	खूँटी (अ.ज.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
194.	श्री सुखदेव भगत	लोहरदगा (अ.ज.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
195.	श्री विष्णु दयाल राम	पलामू (अ.जा.)	झारखण्ड	शपथ	हिन्दी
196.	श्री मनीष जायसवाल	हजारीबाग	झारखण्ड	प्रतिज्ञान	हिन्दी
197.	कुमारी प्रियंका सतीश जारकीहोली	चिक्कोडी	कर्नाटक	प्रतिज्ञान	कन्नड़
198.	श्री जगदीश शेटर	बेलगाम	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
199.	श्री पी.सी. गद्दीगौडर	बागलकोट	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
200.	श्री रमेश चंदप्पा जिगजिनागी	बीजापुर (अ.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़

201.	श्री राधाकृष्ण	गुलबर्गा (अ.जा.)	कर्नाटक	प्रतिज्ञान	कन्नड
202.	श्री जी. कुमार नाइक	रायचूर (अ.ज.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
203.	श्री सागर ईश्वर खंद्रे	बीदर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
204.	श्री के. राजशेखर बसवराज हितनाल	कोप्पल	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
205.	श्री ई. तुकाराम	बेल्लारी (अ.ज.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
206.	श्री बसवाराज बोम्मई	हावेरी	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
207.	श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी	उत्तर कन्नड	कर्नाटक	शपथ	संस्कृत
208.	डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन	दावन्गरे	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
209.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	शिमोगा	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
210.	श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी	उदीपी चिकमगलुर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
211.	श्री श्रेयस. एम. पटेल	हसन	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
212.	श्री कैप्टन बृजेश चौटा	दक्षिण कन्नड	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
213.	श्री गोविंद मकथप्पा करजोल	चित्रदुर्ग (अ.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
214.	श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार	मैसूर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
215.	श्री सुनील बोस	चामराजनगर (अ.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
216.	डॉ. सी. एन. मंजूनाथ	बंगलौर ग्रामीण	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
217.	श्री पी. सी. मोहन	बंगलौर केन्द्रीय	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
218.	श्री तेजस्वी सूर्या	बंगलौर दक्षिण	कर्नाटक	शपथ	कन्नड

219.	डॉ. के. सुधाकर	चिक्काबल्लापुर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
220.	श्री एम. मल्लेश बाबू	कोलार (अ.जा.)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
221.	श्री राजमोहन उन्नीथन	कासरगोड	केरल	शपथ	मलयालम
222.	श्री के. सुधाकरन	कन्नूर	केरल	शपथ	मलयालम
223.	श्री शफी परम्बिल	वडाकरा	केरल	शपथ	मलयालम
224.	श्री एम.के. राघवन	कोझीकोड	केरल	शपथ	मलयालम
225.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	मलप्पुरम	केरल	शपथ	मलयालम
226.	डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी	पोन्नानी	केरल	शपथ	मलयालम
227.	श्री वी.के. श्रीकंदन	पलक्कड	केरल	शपथ	मलयालम
228.	श्री के. राधाकृष्णन	अलथूर (अ.जा.)	केरल	प्रतिज्ञान	मलयालम
229.	श्री बेन्नी बेहनन	चालाकुडी	केरल	शपथ	मलयालम
230.	श्री हिबी ईडन	एरनाकुलम	केरल	शपथ	हिन्दी
231.	एडवोकेट डीन कुरियाकोस	इडुक्की	केरल	शपथ	मलयालम
232.	एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज	कोट्टयम	केरल	शपथ	मलयालम
233.	श्री के. सी. वेणुगोपाल	अलप्पुझा	केरल	शपथ	अंग्रेजी
234.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	मावेलीक्करा (अ.जा.)	केरल	शपथ	मलयालम
235.	श्री एंटो एंटनी	पथनमथीट्टा	केरल	शपथ	मलयालम
236.	श्री एन.के. प्रेमचंद्रन	कोल्लम	केरल	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
237.	श्री अडूर प्रकाश	अटिंगल	केरल	शपथ	अंग्रेजी

238.	श्री मोहम्मद हनीफ़	लद्दाख	लद्दाख	शपथ	उर्दू
239.	श्री मुहम्मद हमदुल्ला सईद	लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)	लक्षद्वीप	शपथ	अंग्रेजी
240.	श्री शिवमंगल सिंह तोमर	मुरैना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
241.	श्रीमती संध्या राय	भिण्ड (अ.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
242.	श्री भरत सिंह कुशवाह	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
243.	डॉ. लता वानखेड़े	सागर	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
244.	श्री राहुल सिंह लोधी	दामोह	मध्य प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
245.	श्री विष्णु दत्त शर्मा	खजुराहो	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
246.	श्री गणेश सिंह	सतना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
247.	श्री जनार्दन मिश्र	रीवा	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
248.	डा. राजेश मिश्रा	सीधी	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
249.	श्रीमती हिमाद्री सिंह	शहडोल (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
250.	श्री आशीष दुबे	जबलपुर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
251.	श्रीमती भारती पारधी	बालाघाट	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
252.	श्री बंटी विवेक साहू	छिन्दवाड़ा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
253.	श्री दर्शन सिंह चौधरी	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
254.	श्री आलोक शर्मा	भोपाल	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
255.	श्री रोडमल नागर	राजगढ़	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
256.	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	देवास (अ.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत

257.	श्री अनिल फिरोजिया	उज्जैन (अ.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
258.	श्री सुधीर गुप्ता	मंदसौर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
259.	श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान	रतलाम (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
260.	श्री शंकर लालवानी	इन्दौर	मध्य प्रदेश	शपथ	सिंधी
261.	श्री गजेन्द्र सिंह पटेल	खरगौन (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
262.	श्री ज्ञानेश्वर पाटील	खण्डवा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 25 जून, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार- भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 25 जून, 2024/ 4 आषाढ, 1946 (शक)

संख्या 2

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ / प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4	5	6
1.	एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी	नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	हिन्दी
2.	डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश	धुले	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
3.	श्रीमती स्मिता उदय वाघ	जलगांव	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
4.	श्री अनूप संजय धोत्रे	अकोला	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
5.	श्री बलवंत बसवंत वानखडे	अमरावती (अ.जा.)	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
6.	श्री अमर शरदराव काले	वर्धा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
7.	श्री श्यामकुमार (बबलू) दौलत बर्वे	रामटेक (अजा)	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	हिन्दी

8.	डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले	भन्डारा-गोंदिया	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
9.	डॉ. किरसान नामदेव	गडचिरोली-चिमुर्	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
10.	श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश उर्फ बालूभाऊ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
11.	श्री संजय उत्तमराव देशमुख	यवतमाल-वाशिम	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
12.	श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल	हिंगोली	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
13.	श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण	नांदेड	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
14.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	परभणी	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
15.	डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले	जालना	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
16.	श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
17.	श्री भास्कर मुरलीधर भागरे	दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
18.	श्री राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे	नासिक	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
19.	डॉ. हेमंत विष्णु सवरा	पालघर (अ.ज.जा.)	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
20.	श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे	भिवंडी	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
21.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	कल्याण	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
22.	श्री नरेश गणपत म्हस्के	ठाणे	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
23.	श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर	मुम्बई उत्तर-पश्चिम	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
24.	श्री संजय दीना पाटिल	मुंबई उत्तर-पूर्व	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी

25.	प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड	मुम्बई उत्तर-मध्य	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
26.	श्री अनिल यशवंत देसाई	मुम्बई दक्षिण-मध्य	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
27.	श्री अरविंद गणपत सावंत	मुम्बई दक्षिण	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
28.	श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे	रायगढ	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
29.	श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे	मावल	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
30.	श्रीमती सुप्रिया सुले	बारामती	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
31.	डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे	शिरूर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
32.	श्री निलेश ज्ञानदेव लंके	अहमदनगर	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
33.	श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे	शिर्डी (अ.जा.)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
34.	श्री बजरंग मनोहर सोनवणे	बीड	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
35.	श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
36.	डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे	लातूर (अ.जा.)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
37.	सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे	शोलापुर (अ.जा.)	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
38.	श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते- पाटील	माधा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
39.	श्री विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील	सांगली	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
40.	श्रीमंत छ. उदयनराजे पी. भोंसले	सतारा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
41.	श्री नारायण तातू राणे	रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
42.	श्री छत्रपति शाहू शाहाजी	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
43.	श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे	हातकणंगले	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी

44.	श्री अंगोमचा बिमोल अकोङ्जम	आंतरिक मणिपुर	मणिपुर	शपथ	मणिपुरी	
45.	श्री अल्फ्रेड कनंगम एस. आर्थर	बाह्य (अ.ज.जा.)	मणिपुर	मणिपुर	शपथ	अंग्रेजी
46.	डॉ. रिकी एंड्र्यू. जे. सिंगकोण	शिलांग (अ.ज.जा.)	मेघालय	शपथ	अंग्रेजी	
47.	श्री सालेंग ए. संगमा	तुरा (अ.ज.जा.)	मेघालय	शपथ	अंग्रेजी	
48.	श्री रिचर्ड वनलालहंगइहा	मिजोरम (अ.ज.जा.)	मिजोरम	शपथ	अंग्रेजी	
49.	श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर	नागालैण्ड	नागालैण्ड	शपथ	अंग्रेजी	
50.	श्री प्रदीप पुरोहित	बारगढ	ओडिशा	शपथ	उडिया	
51.	श्री अनन्त नायक	क्योङ्गर (अ.ज.जा.)	ओडिशा	शपथ	उडिया	
52.	श्री नव चरण माझी	मयूरभंज (अ.ज.जा.)	ओडिशा	शपथ	उडिया	
53.	श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी	बालासोर	ओडिशा	शपथ	संस्कृत	
54.	श्री अभिमन्यु सेठी	भद्रक (अ.जा.)	ओडिशा	शपथ	उडिया	
55.	डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा	जाजपुर (अ.जा.)	ओडिशा	शपथ	उडिया	
56.	श्री रुद्र नारायण पाणी	धेन्कानल	ओडिशा	शपथ	उडिया	
57.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	बोलंगीर	ओडिशा	शपथ	उडिया	
58.	श्रीमती मालविका देवी	कालाहाण्डी	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी	
59.	श्री बलभद्र माझी	नबरंगपुर (अ.ज.जा.)	ओडिशा	प्रतिज्ञान	उडिया	
60.	श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही	कंधमाल	ओडिशा	शपथ	उडिया	
61.	श्री बैजयंत पांडा	केन्द्रपाडा	ओडिशा	शपथ	उडिया	
62.	श्री बिभु प्रसाद तराई	जगतसिंहपुर (अ.जा.)	ओडिशा	शपथ	उडिया	
63.	श्री संबित पात्रा	पुरी	ओडिशा	शपथ	उडिया	

64.	श्रीमती अपराजिता सारंगी	भुवनेश्वर	ओडिशा	शपथ	उड़िया
65.	श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी	अस्का	ओडिशा	शपथ	उड़िया
66.	डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही	बरहामपुर	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी
67.	श्री सप्तगिरी शंकर उलाका	कोरापुट (अ.ज.जा.)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
68.	श्री वी. वैथिलिंगम	पुडुचेरी	पुडुचेरी	शपथ	तमिल
69.	श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा	गुरदासपुर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
70.	श्री गुरजीत सिंह औजला	अमृतसर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
71.	श्री चरनजीत सिंह चन्नी	जालंधर (अ.जा.)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
72.	डॉ. राज कुमार चब्बेवाल	होशियारपुर (अ.जा.)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
73.	श्री मलविंदर सिंह कंग	आनंदपुर साहिब	पंजाब	शपथ	पंजाबी
74.	श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग	लुधियाना	पंजाब	शपथ	पंजाबी
75.	डॉ. अमर सिंह	फतेहगढ साहिब (अ.जा.)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
76.	श्री सरबजीत सिंह खालसा	फरीदकोट (अ.जा.)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
77.	श्री शेर सिंह घुबाया	फिरोज़पुर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
78.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	भटिण्डा	पंजाब	शपथ	पंजाबी
79.	श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर	संगरूर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
80.	डॉ. धर्मवीर गांधी	पटियाला	पंजाब	शपथ	पंजाबी
81.	श्री कुलदीप इंदौरा	गंगानगर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
82.	श्री राहुल कस्वां	चुरू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
83.	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला	झुन्झुनू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
84.	श्री अमरा राम	सीकर	राजस्थान	प्रतिज्ञान	हिन्दी

85.	श्री राव राजेन्द्र सिंह	जयपुर ग्रामीण	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
86.	श्रीमती मंजू शर्मा	जयपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
87.	श्रीमति संजना जाटव	भरतपुर (अ.जा.)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
88.	श्री भजन लाल जाटव	करौली-धौलपुर (अ.जा.)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
89.	श्री मुरारी लाल मीना	दौसा (अ.ज.जा.)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
90.	श्री हरीश चन्द्र मीना	टोंक-सवाई माधोपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
91.	श्री हनुमान बेनीवाल	नागौर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
92.	श्री पी. पी. चौधरी	पाली	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
93.	श्री उम्मेदा राम बेनिवाल	बाड़मेर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
94.	श्री लुम्बाराम	जालोर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
95.	श्री मन्ना लाल रावत	उदयपुर (अ.ज.जा.)	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
96.	श्री राज कुमार रोट	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
97.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
98.	श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़	राजसमन्द	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
99.	श्री दामोदर अग्रवाल	भीलवाड़ा	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
100.	श्री ओम बिरला	कोटा	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
101.	श्री दुष्यन्त सिंह	झालावाड़-बारां	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
102.	श्री इन्द्र हांग सुब्बा	सिक्किम	सिक्किम	प्रतिज्ञान	नेपाली

(लोक सभा अपराह्न 1.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

103.	श्री सशिकांत सेंथिल	तिरुवल्लुर (अ.जा.)	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
------	---------------------	--------------------	----------	-----	------

104.	डॉ. कलानिधि वीरास्वामी	चेन्नई उत्तर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
105.	श्रीमति टी. सुमति (ए) थामिजाची थंगापांडियन	चेन्नई दक्षिण	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
106.	श्री दयानिधि मारन	चेन्नई केन्द्रीय	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
107.	श्री सेल्वम जी	कांचीपुरम (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
108.	श्री टी.आर. बालू	श्रीपेरुम्बुदूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
109.	श्री एस. जगतरक्षकन	अराकोन्नम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
110.	श्री डी. एम. कथीर आनंद	वेल्लोर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
111.	श्री के. गोपीनाथ	कृष्णागिरी	तमिलनाडु	शपथ	तेलुगु
112.	श्री ए. मणि	धर्मापुरी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
113.	श्री सी. एन. अन्नादुरई	तिरूवन्नामलाई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
114.	श्री एम.एस. थरानिवेंथन	अरानी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
115.	श्री डी. रविकुमार	विलुपुरम् (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
116.	श्री डी. मलैयारासन	कल्लाकुरिची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
117.	श्री टी. एम. सेल्वगणपति	सलेम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
118.	श्री वी. एस. मथेश्वरन	नामाक्कल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
119.	श्री के.ई. प्रकाश	इरोड	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
120.	श्री के. सुब्बारायण	तिरुप्पुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
121.	श्री ए. राजा	नीलगिरि (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
122.	श्री राजकुमार पी. गणपति	कोयम्बदूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
123.	श्री के. ईश्वरसामी	पोल्लाची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल

124.	श्री आर. सचिथानंथम	डिण्डीगुल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
125.	श्रीमति एस. जोतिमणि	करूर	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
126.	श्री दुरई वाइको	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
127.	श्री अरुण नेहरू	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
128.	श्री एम. के. विष्णुप्रसाद	कुड्डलूर	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
129.	श्री थोल तिरुमावलवन	चिदम्बरम (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
130.	कुमारी सुधा आर.	मड्लादुथुरई	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
131.	कामरेड वी. सेल्वाराज	नागापट्टिनम (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
132.	श्री एस. मुरसोली	तंन्जावुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
133.	श्री कार्ती पी. चिदम्बरम	शिवगंगा	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
134.	श्री एस. वेंकटेशन	मदुरई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
135.	श्री तमिलसेल्वन थंगा	थेनी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
136.	श्री मणिकम बी. टैगोर	विरुधुनगर	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
137.	श्री के. नवासखनी	रामानाथपुरम	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
138.	श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि	थूथुकुडी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
139.	डॉ. रानी श्रीकुमार	टेनकासी (अ.जा.)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
140.	श्री सी. रॉबर्ट ब्रूस	तिरूनेलवेली	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
141.	श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
142.	श्री गोडम नागेश	आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	तेलंगाना	शपथ	हिन्दी

143.	श्री वामसि कृष्णा गद्दाम	पेड्डापल्ले (अ.जा.)	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
144.	श्री अरविंद धर्मापुरी	निजामाबाद	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
145.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	जहीराबाद	तेलंगाना	प्रतिज्ञान	तेलुगू
146.	श्री माधवनेनी रघुनंदन राव	मेडक	तेलंगाना	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
147.	श्री इट्टेला राजेंदर	मल्काजगिरि	तेलंगाना	प्रतिज्ञान	तेलुगू
148.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	हैदराबाद	तेलंगाना	शपथ	उर्दू
149.	श्री कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी	चेवेल्ला	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
150.	श्रीमती डी. के. अरुणा	महबूबनगर	तेलंगाना	प्रतिज्ञान	तेलुगू
151.	डॉ. मल्लू रवि	नगरकुरनूल (अ.जा.)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
152.	श्री कुंदुरु रघुवीर	नलगोन्डा	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
153.	श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी	भोंगीर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
154.	डॉ. कडियम काव्य	वारंगल (अ.जा.)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
155.	श्री बलराम नाइक पोरिका	महबूबाबाद (अ.ज.जा.)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
156.	श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी	खम्मम	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
157.	श्री बिप्लब कुमार देब	त्रिपुरा पश्चिम	त्रिपुरा	शपथ	हिन्दी
158.	श्रीमती कीर्ति देवी देबबर्मन	त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	त्रिपुरा	शपथ	अंग्रेजी
159.	श्री इमरान मसूद	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
160.	सुश्री इकरा चौधरी	कैराना	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
161.	श्री हरेन्द्र सिंह मलिक	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
162.	श्री चंदन चौहान	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

163.	एडवोकेट चन्द्र शेखर	नगीना (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
164.	श्रीमती रुचि वीरा	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
165.	श्री मोहिबुल्लाह	रामपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	उर्दू
166.	श्री जिया उर रहमान	सम्भल	उत्तर प्रदेश	शपथ	उर्दू
167.	कंवर सिंह तंवर	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
168.	श्री अरुण गोविल	मेरठ	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
169.	डॉ. राजकुमार सांगवान	बागपत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
170.	श्री अतुल गर्ग	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
171.	डॉ. महेश शर्मा	गौतम बुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
172.	डॉ. भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
173.	श्री सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
174.	श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि	हाथरस (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
175.	श्रीमती हेमामालिनी	मथुरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
176.	श्री राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
177.	श्री अक्षय यादव	फिरोज़ाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
178.	श्रीमती डिम्पल यादव	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
179.	श्री देवेश शाक्य	एटा	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
180.	श्री आदित्य यादव	बदायूं	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
181.	श्री नीरज मौर्य	आंवला	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

182.	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	बरेली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
183.	श्री अरुण कुमार सागर	शाहजहाँपुर (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
184.	श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'	खीरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
185.	श्री आनंद भदौरिया	धौरहरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
186.	श्री राकेश राठौर	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
187.	श्री जय प्रकाश	हरदोई (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
188.	श्री अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
189.	डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
190.	श्री आर. के. चौधरी	मोहनलालगंज (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
191.	श्री राहुल गांधी	राय बरेली	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
192.	श्री किशोरी लाल	अमेठी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
193.	श्री रामभुआल निषाद	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
194.	डॉ. शिव पाल सिंह पटेल उर्फ डॉ. एस.पी. सिंह	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
195.	श्री मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
196.	श्री जितेन्द्र कुमार दोहरे	इटावा (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
197.	श्री अखिलेश यादव	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
198.	श्री रमेश अवस्थी	कानपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
199.	श्री नारायणदास अहिरवार	जालौन (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
200.	श्री अनुराग शर्मा	झांसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

201.	श्री अजेन्द्र सिंह लोधी	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
202.	श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल	बांदा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
203.	श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
204.	श्री पुष्पेंद्र सरोज	कौशाम्बी (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
205.	श्री प्रवीण पटेल	फूलपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
206.	श्री उज्जवल रमण सिंह	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
207.	श्री तनुज पुनिया	बाराबंकी (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
208.	श्री अवधेश प्रसाद	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
209.	श्री लालजी वर्मा	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
210.	श्री आनन्द कुमार	बहराइच (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
211.	श्री करण भूषण सिंह	कैसरगंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
212.	श्री राम शिरोमणि वर्मा	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
213.	श्री जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
214.	श्री राम प्रसाद चौधरी	बस्ती	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
215.	श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
216.	श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
217.	श्री विजय कुमार दूबे	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
218.	श्री शशांक मणि	देवरिया	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
219.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	लालगंज (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

220.	श्री धर्मेन्द्र यादव	आजमगढ	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
221.	श्री राजीव राय	घोसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
222.	श्री रमाशंकर राजभर	सलेमपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
223.	श्री सनातन पांडेय	बलिया	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
224.	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
225.	एडवोकेट प्रिया सरोज	मछलीशहर (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
226.	श्री वीरेन्द्र सिंह	चन्दौली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
227.	डा. विनोद कुमार बिंद	भदोही	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
228.	श्री छोटेलाल	राबट्सगंज (अ.जा.)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
229.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखण्ड	शपथ	हिन्दी
230.	श्री अनिल बलूनी	गढ़वाल	उत्तराखण्ड	शपथ	हिन्दी
231.	श्री अजय भट्ट	नैनीताल-ऊधमसिंह नगर	उत्तराखण्ड	शपथ	हिन्दी
232.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	हरिद्वार	उत्तराखण्ड	शपथ	हिन्दी
233.	श्री जगदीश चन्द्र बर्मा बसुनिया	कूच बिहार (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
234.	श्री मनोज तिग्गा	अलीपुरद्वारस (अ.ज.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी

235.	डॉ. जयंत कुमार राय	जलपाईगुडी (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
236.	श्री राजू बिष्ट	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	शपथ	नेपाली
237.	श्री कार्तिक चंद्र पॉल	रायगंज	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
238.	श्री खगेन मुर्मु	माल्दहा उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
239.	श्री ईशा खान चौधरी	माल्दहा दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
240.	श्री खलीलुर रहमान	जंगीपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
241.	श्री पठान यूसुफ	बहरामपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
242.	श्री अबू ताहेर खान	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
243.	सुश्री महुआ मोइत्रा	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
244.	श्री जगन्नाथ सरकार	रणघाट (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
245.	श्री पार्थ भौमिक	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
246.	श्री सौगत राय	दमदम	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
247.	डॉ. काकोली घोष दस्तीदार	बारासात	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
248.	श्रीमती प्रतिमा मण्डल	जयनगर (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
249.	श्री बापी हलदर	मथुरापुर (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
250.	श्री अभिषेक बनर्जी	डायमण्ड हारबर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
251.	सुश्री सयानी घोष	जादवपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
252.	श्रीमती माला राय	कोलकाता दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
253.	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	कोलकाता उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
254.	श्री प्रसून बनर्जी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला

255.	श्रीमती साज़दा अहमद	उलुबेरिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
256.	श्री कल्याण बनर्जी	श्रीरामपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
257.	श्रीमती रचना बनर्जी	हुगली	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
258.	श्रीमती बाग मिताली	आरामबाग (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
259.	श्री अभिजीत गंगोपाध्याय	तामलुक	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
260.	श्री अधिकारी सौमंदु	कांथी	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
261.	श्री कालिपद सरेन (खेरवाल)	झाड़ग्राम (अ.ज.जा.)	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	संथाली
262.	श्रीमती जून मालिया	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
263.	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
264.	श्री अरूप चक्रवर्ती	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
265.	श्री सौमित्र खान	बिष्णुपुर (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
266.	डा. शर्मिला सरकार	बर्धमान पूर्व (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
267.	श्री आजाद कीर्ति झा	बर्धमान-दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
268.	श्री असित कुमार मल	बोलपुर (अ.जा.)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
269.	श्रीमती शताब्दी राय	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
270.	श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी	कडापा	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	तेलुगु
271.	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	पूर्णिया	बिहार	प्रतिज्ञान	मैथिली
272.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	अकबरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

2. सामयिक अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

* (एक) सामयिक अध्यक्ष ने सदस्यों से शपथ/प्रतिज्ञान के शब्दों/पाठ को ही पढ़ने की अपील की।

** (दो) सामयिक अध्यक्ष ने शपथ/प्रतिज्ञान के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद भी किया।

सायं 6.03 बजे

(लोक सभा बुधवार, 26 जून, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* पूर्वाह्न 11.30 बजे।

** सायं 6.01 बजे।

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 26 जून, 2024/ 05 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 3

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

पश्चिम बंगाल के घाटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री दीपक (देव) अधिकारी ने बांग्ला में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11:03 बजे

2. *सामयिक अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सामयिक अध्यक्ष ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त होने के संबंध में टिप्पणी की।

पूर्वाह्न 11:03 बजे

3. अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

(एक) श्री नरेन्द्र मोदी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री राज नाथ सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(दो) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

डॉ. राजकुमार सांगवान ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(तीन) श्री जीतन राम मांझी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(चार) श्री अमित शाह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री नितिन जयराम गडकरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(पाँच) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(छह) श्री चिराग पासवान ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री जयन्त बसुमतारी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(सात) श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(आठ) श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(नौ) डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री फणी भूषण चौधरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(दस) श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री कृष्ण पाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(ग्यारह) श्री अरविंद गणपत सावंत ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री कोडिकुन्नील सुरेश, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(बारह) श्री आनंद भदौरिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री कोडिकुन्नील सुरेश, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री तारिक अनवर ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(तेरह) श्रीमती सुप्रिया सुले ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री कोडिकुन्नील सुरेश, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(चौदह) डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री जुएल ओराम ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(पंद्रह) प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री पंकज चौधरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(सोलह) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती कमलजीत सहरावत ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया तथा श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया।

प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री ने श्री ओम बिरला को अध्यक्षपीठ पर आसीन किया।

पूर्वाहन 11.16 बजे

4. सामयिक अध्यक्ष को आभार

संसदीय कार्य मंत्री ने सभा की ओर से सामयिक अध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्यों तथा महासचिव और लोक सभा सचिवालय के स्टाफ का समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

पूर्वाहन 11.17 बजे

5. अध्यक्ष को बधाई

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष को बधाई दी:-

1. श्री नरेन्द्र मोदी
2. श्री राहुल गांधी
3. श्री अखिलेश यादव
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री टी. आर. बालू
6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
8. श्री अरविंद गणपत सावंत
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
11. श्री चिराग पासवान
12. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी
13. श्री अभय कुमार सिन्हा
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
16. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
17. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
18. श्री असादुद्दीन ओवैसी

19. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
20. श्री अमरा राम
21. डॉ. तिरुमावलवन थोल
22. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल
23. डॉ. राजकुमार सांगवान
24. एडवोकेट चन्द्रशेखर
25. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
26. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
27. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
28. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
29. श्री राज कुमार रोट

अध्यक्ष ने अपने उत्तर में सदस्यों का धन्यवाद किया।

अपराहन 12:55 बजे

6. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का परिचय करवाया।

अपराहन 1:06 बजे

7. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 25 जून 1975 को देश में आपात काल की उद्घोषणा के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सभा थोड़ी देर के लिए मौन रही।

अपराहन 1:14 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 27 जून, 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे पश्चात् तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 27 जून, 2024/ 06 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 4

अपराहन 12.38 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष ने नियम 384 में छूट देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्थान के रूप में लोक सभा कक्ष का उपयोग करने के बारे में टिप्पणी की ताकि दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उपस्थित हो सकें।

अपराहन 12.39 बजे

2. *विपक्ष के नेता का परिचय

अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का परिचय कराया।

अपराहन 12.41 बजे

3. शपथ

केरल के तिरुवनन्तपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य डॉ. शशि थरूर ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

अपराहन 12.42 बजे

4. राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 27 जून, 2024 को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.42 बजे

5. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधनों की सूचनाओं को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में घोषणा की।

अपराहन 12.43 बजे

6. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 2 फरवरी, 2024 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

- (1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024;
- (2) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024;
- (3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024;
- (4) वित्त विधेयक, 2024;
- (5) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024;
- (6) विनियोग विधेयक, 2024;
- (7) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024; और
- (8) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी:-

- (1) लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024;
- (2) जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024;

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (3) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; और
- (4) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024.

अपराहन 12.45 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 28 जून, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 28 जून, 2024/ 07 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 5

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मनोहर जोशी, सदस्य, तेरहवीं लोक सभा; श्री ब्रह्मानंद मंडल, सदस्य, दसवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा; श्री जय भद्र सिंह, सदस्य, तेरहवीं लोक सभा; श्री डी. वेणुगोपाल, सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा; डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क, सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और सत्रहवीं लोक सभा; श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा, सदस्य, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा; श्री ए. गणेशमूर्ति, सदस्य, बारहवीं, पंद्रहवीं और सत्रहवीं लोक सभा; श्री कुंवर सर्वेश कुमार, सदस्य, सोलहवीं लोक सभा; श्री राजवीर दिलेर, सदस्य, सत्रहवीं लोक सभा; श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद, सदस्य, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, तेरहवीं और सत्रहवीं लोक सभा; श्री एम. सेल्वराज, सदस्य, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और सत्रहवीं लोक सभा; श्री सुशील कुमार मोदी, सदस्य, चौदहवीं लोक सभा और श्री प्रतापराव बी. भोसले, सदस्य, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.13 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 5 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.874(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 5 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.875(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा(2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 6 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.102(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के 31 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 34	ग्यारहवां सत्र, 2012
2.	विवरण सं. 33	बारहवां सत्र, 2012
3.	विवरण सं. 31	पन्द्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

4.	विवरण सं. 29	पांचवां सत्र, 2015
5.	विवरण सं. 23	दसवां सत्र, 2016
6.	विवरण सं. 25	बारहवां सत्र, 2017
7.	विवरण सं. 19	तेरहवां सत्र, 2017-18
8.	विवरण सं. 19	चौदहवां सत्र, 2018
9.	विवरण सं. 20	पंद्रहवां सत्र, 2018

सत्रहवीं लोक सभा

10.	विवरण सं. 22	पहला सत्र, 2019
11.	विवरण सं. 18	दूसरा सत्र, 2019
12.	विवरण सं. 16	तीसरा सत्र, 2020
13.	विवरण सं. 17	पांचवां सत्र, 2021
14.	विवरण सं. 16	छठा सत्र, 2021
15.	विवरण सं. 10	सातवां सत्र, 2021
16.	विवरण सं. 10	आठवां सत्र, 2022
17.	विवरण सं. 7	नौवां सत्र, 2022
18.	विवरण सं. 5	दसवां सत्र, 2022
19.	विवरण सं. 5	ग्यारहवां सत्र, 2023
20.	विवरण सं. 2	बारहवां सत्र, 2023
21.	विवरण सं. 2	चौदहवां सत्र, 2023
22.	विवरण सं. 1	पंद्रहवां सत्र, 2024

पूर्वाह्न 11.14 बजे

3. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेश में नया निदेश 116क जोड़ा जाना

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी नये निदेश 116क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

4. शपथ

पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शेख नुरुल इस्लाम ने बांग्ला में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

5. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री किरें रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री किरें रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 01 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 01 जुलाई, 2024/ 10 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 6

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री पी.एम. सुब्बा, सदस्य, सातवीं लोक सभा; महामहिम डॉ. सैयद इब्राहिम रईसी, इस्लामी ईरान गणराज्य के राष्ट्रपति; महामहिम अल्हज़ अली हसन म्वीन्यी, तंजानिया संयुक्त गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति; और महामहिम डॉ. सॉलोस क्लाउस चिलिमा, मलावी संयुक्त गणराज्य के उप-राष्ट्रपति के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 12 जून, 2024 को कुवैत में श्रमिक आवासीय बिल्डिंग में दुःखद आग दुर्घटना में 49 लोगों के मारे जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने उस आतंकवादी हमले की वर्षगांठ का भी उल्लेख किया जिसमें 23 जून 1985 को टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के दो विमानों को निशाना बनाया गया था। एआई 182 "कनिष्क" को आयरलैंड के पास बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 निर्दोष लोग मारे गए थे।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाहन 11.05 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को बारबाडोस, वेस्टइंडीज में 29 जून, 2024 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पुरुष टी-20 क्रिकेट विश्व कप, 2024 में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी।

पूर्वाहन 11.06 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने लोक सभा के सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 और तीसरी अनुसूची के प्रावधानों का पालन करने के लिए सदस्यों से अपील की।

पूर्वाहन 11.08 बजे

4. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा* की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया है:-

- (1) श्री जगदम्बिका पाल
- (2) श्री पी. सी. मोहन
- (3) श्रीमती संध्या राय
- (4) श्री दिलीप शङ्कीया
- (5) कुमारी सैलजा
- (6) श्री ए. राजा
- (7) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
- (8) श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
- (9) श्री अवधेश प्रसाद

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाहन 11.09 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटरी (संशोधन) नियम, 2024 जो 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 132(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट शासन) विनियम, 2024 जो 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/7/ 201/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर तृतीय पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 जो 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/198/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार स्थल) विनियम, 2024 जो 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/5/ 199/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईआरडीए/आईएसी/12/206/2024 जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईआरडीए/जीईएन इश्योरेंस/टैरिफ/13/207/2024 जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की विलोपित धारा 64पग के अंतर्गत पूर्ववर्ती टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा

अधिसूचित टैरिफ को विअधिसूचित किया गया है।

- (छह) अधिसूचना सं. एफ.सं.आरआईडीएआई/आरआई/3/197/2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अनिवार्य अध्यर्पण" को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकक, वित्तीय और निवेश कार्य) विनियम, 2024 जो 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/10/204/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 जो 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/8/202/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनःबीमाकर्ता शाखाओं और लॉयड्स इंडिया का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) विनियम, 2024 जो 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/9/203/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 जो 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/6/200/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के कार्य और समवर्गी मामले) विनियम, 2024 जो 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/11/205/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम, मुम्बई के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उप-धारा(4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेशन निधि (संशोधन) विनियम, 2024 जो 20 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआर/पीएण्डपीएमडी/एसपीएल/ एसपी/2023-24/29 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत राष्ट्रीय आवासन बैंक के भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी प्रतिवेदन 2023 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय आवासन बैंक के भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी प्रतिवेदन 2023 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी - एक अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.256 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.257 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी - तीन और चार कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.258 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी - तीन अधिकारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.259 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.260 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकक क्षमता के संस्थानिक विकास के लिए विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.261 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी - एक अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.262 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (चयन, सेवा के निबंधन और शर्तों और भत्ते का भुगतान) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.263 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) [संशोधन] विनियम, 2003 जो दिनांक 3 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडीडी सं. 101/स्टॉफ जनरल. (2) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) [संशोधन] विनियम, 2004 जो दिनांक 9 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ सं. 6684/स्टॉफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) [संशोधन] विनियम, 2010 जो दिनांक 16 नवंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडीडी सं. 2676/स्टॉफ जनरल. (2) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) [संशोधन] विनियम, 2011 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडीडी सं. 3617/स्टॉफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी) [संशोधन] विनियम, 2011 जो दिनांक 27 जनवरी , 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडीडी सं. 3716/स्टॉफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (परिभाषित अंशदायी नई पेशन) विनियम, 2012 जो दिनांक 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 4465/एपीवी में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सामान्य) [संशोधन] विनियम, 2013 जो दिनांक 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 2084/सीएवी में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारिगण) [संशोधन] विनियम, 2014 जो दिनांक 17 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एचआरवी सं. 1773/सीएवी में प्रकाशित हुए थे।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) औद्योगिक निवेश विकास बैंक लिमिटेड (इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 31.03.2024 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 31.03.2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएफआरडीए/04/01/4/0002/2017-वित्त.एलआईटी. में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 7 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/02/05/0001/2021-आरईजी-एनपीएसटी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/04/06/0016/2017-आरईजी-टीबी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय रिकार्ड रखरखाव एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/01/08/0048/2017-आरईजी-सीआरए में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/3/29/0089/2017-आरईजी-पीएफ. में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियम बनाए जाने की प्रक्रिया और समीक्षा) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फाईल संख्या पीएफआरडीए/12/01/0001/2023-लीगल में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/3/29/0089/2017-आरईजी-पीएफ. में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/12/06/0001/2017-आरईजी-सीयूएसटी. में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएफआरडीए/16/13/0017/2002-आरईजी-आए. में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1. में प्रकाशित हुए थे।
- (10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.720(अ) जो 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) दिनांक 15 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. 13 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) का.आ.968(अ) जो 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) का.आ.1117(अ) जो 6 मार्च , 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) दिनांक 7 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. 18 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) का.आ.1367(अ) जो 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) दिनांक 26 मार्च , 2024 की अधिसूचना सं. 24 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.)

जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (आठ) का.आ.1583(अ) जो 28 मार्च , 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) दिनांक 4 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. 27 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (दस) का.आ.1655(अ) जो 9 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) का.आ.1717(अ) जो 15 अप्रैल , 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) दिनांक 18 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. 30 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) का.आ.1876(अ) जो 30 अप्रैल , 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) दिनांक 2 मई, 2024 की अधिसूचना सं. 34 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (पंद्रह) का.आ.1995(अ) जो 15 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (सोलह) दिनांक 16 मई, 2024 की अधिसूचना सं. 36 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सत्रह) का.आ.2070(अ) जो 21 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (अठारह) का.आ.2162(अ) जो 31 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (उन्नीस) दिनांक 6 जून, 2024 की अधिसूचना सं. 40/2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बीस) का.आ.2330(अ) जो 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (इक्कीस) दिनांक 20 जून, 2024 की अधिसूचना सं. 45 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बाईस) सा.का.नि.173(अ) जो 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.261(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेईस) सा.का.नि.268(अ) जो 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.792(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौबीस) दिनांक 1 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. 10 / 2024 - सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की संशोधित दरों को अधिसूचित

किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पच्चीस) का.आ.396(अ) जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(11) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्न संविदाओं के लिए मार्जिन) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.399(1)2024-आरबी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1361(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/166 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/168 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/175 जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 3 के उप-विनियम (तीन) में संशोधनों के प्रवृत्त होने को नियत किया गया है।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/177 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/178 में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024

- (छह) जो दिनांक 27 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/182 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/172 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 3 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/183 में प्रकाशित हुए थे।
- (13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -
- (एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.223(अ) जो 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.2103(अ) जो दिनांक 24 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.309(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना संख्या का.आ.4312(अ), जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) अधिसूचना संख्या का.आ.2478(अ), जो 11 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिनके द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या का.आ.1796(अ), जो 25 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिनके द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर पेम्मासानी) ने डाक घर अधिनियम, 2023 की धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 2352(अ), जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे डाक घर अधिनियम, 2023 लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ऑरोविले प्रतिष्ठान (निवासी पंजिका में लोगों के नाम की प्रविष्टि और विलोपन) विनियम, 2023 जो कि दिनांक 4 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एएफ/1-4/2023 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) ऑरोविले प्रतिष्ठान (कार्य समिति के चयन हेतु रूपरेखा) विनियम, 2024 जो कि दिनांक 12 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एएफ/1-4/2023 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) ऑरोविले प्रतिष्ठान, विलुप्पुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑरोविले प्रतिष्ठान, विलुप्पुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद विनियम, 2024 जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. आईआईएमए/सीएओ/ओएफएफ/2024/011. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बोध गया के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बोध गया के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्वाहन 11.13 बजे

6. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री किरन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(पाँच) श्री किरन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री किरन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित की जाए, जिसमें तीस सदस्य, लोक सभा से बीस और राज्य सभा से दस सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित होंगे;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह नहीं होगा और कि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) कि समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार

के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्गों, विशेष रूप से अत्यधिक पिछड़ा वर्गों, का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संविधान के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(पांच) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों, जो संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, पर सामान्य रूप से विचार करना और दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना; और

(छह) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जो समिति उचित समझे या जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें।

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे जिसे तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनर्गठित किया जाएगा;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसी भिन्नताओं और आशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा को यह सिफारिश करे कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और इस सभा को यथाउपरोक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से चुने गए सदस्यों के नाम सूचित करे।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

पूर्वाहन 11.24 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे -

1. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा मऊभंडार स्थित एचसीएल-आईसीसी स्मेल्टर संयंत्र को फिर से चालू किए जाने के बारे में।
2. श्री गणेश सिंह द्वारा सतना और तमस नदियों के पुनुरुद्धार के बारे में।
3. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत तापी लोअर परियोजना को शामिल किए जाने के बारे में।
4. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा खेतौरी, घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए जाने के बारे में।
5. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के बोलांगीर में एक नई कपड़ा मिल की स्थापना के बारे में।
6. श्रीमती मालविका देवी द्वारा भारतीय सेना में पाइका रेजिमेंट की स्थापना के बारे में।
7. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा वन अधिनियम, 1980 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाए जा रहे अंडरपास के डिजाइन में संशोधन की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा में मजबूरी के कारण पलायन के मुद्दे के बारे में।
10. श्री के. सुधाकर द्वारा चिक्काबल्लापुर में फ्लावर बोर्ड की स्थापना के बारे में।
11. श्री राजू बिष्ट द्वारा तीस्ता नदी की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री के. सुधाकरन द्वारा कन्नानोर छावनी का प्रशासनिक नियंत्रण कन्नूर नगर निगम को सौंपने के बारे में।
13. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल में तटीय कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री सुखदेव भगत द्वारा जनगणना कॉलम में 'सरना धर्म' कोड शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री राधाकृष्ण द्वारा कर्नाटक के कलबुर्गी में रेल मंडल की स्थापना के बारे में।
17. श्री छोटेलाल द्वारा राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना के बारे में।

18. श्री आनन्द भदौरिया द्वारा धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवारा पशुओं से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. प्रो. सौगत राय द्वारा कोलकाता में उपनगरीय रेल प्रणाली के बारे में।
20. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा सियालदाह कैनिंग स्टेशन पर माल्टा हाल्ट स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव के बारे में।
21. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा ऑगोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में।
22. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा रेलगाड़ी संख्या - 05305 और 05306 की नियमित सेवाओं के बारे में।
23. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन हेतु स्वतंत्र आयोग नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री भर्तहरि महताब द्वारा महानदी पर बैराजों का निर्माण किए जाने के बारे में।
26. श्री राधाकृष्ण द्वारा कलबुर्गी, कर्नाटक में रेल मंडल की स्थापना के संबंध में।

पूर्वाहन 11.26 बजे

9. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय : 16 घंटे

लिया गया समय : 11 घंटे 28 मिनट

शेष : 4 घंटे 32 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए: -

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 27 जून, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

कुमारी बाँसुरी स्वराज ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(लोक सभा अपराहन 1.06 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.10 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.10 बजे

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा* की:-

"धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

इसके पश्चात् जैसे संशोधन जिन्हें प्रस्तुत किया हुआ मान लिया गया है, उनकी क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।"

एक सौ सोलह (1-10, 11-20, 37-39, 49-58, 79-88, 98-101,110-116,117-118,121-129, 150-159, 160-162, 165-172, 173-177, 178-180, 187-195, 231-233 और 244-253) संशोधन पेश किए गए।

अपराहन 2.11 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राहुल गांधी
2. सुश्री महुआ मोड़त्रा
3. श्री ए. राजा
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. श्री अमोल रामसिंग कोल्हे
8. श्री धर्मबीर सिंह
9. श्री मनीश तिवारी
10. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
11. सुश्री शांभवी चौधरी
12. श्री अभय कुमार सिन्हा
13. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
14. श्री संबित पात्रा
15. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

16. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
17. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
18. श्रीमती जोबा माझी
19. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा
20. श्री मियां अल्ताफ अहमद
21. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
22. श्री एस. वेंकटेशन
23. श्री गणेश सिंह
24. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
25. श्री टेन्नेटी कृष्ण प्रसाद
26. प्रो. गायकवाड़ वर्षा एकनाथ
27. श्री कौडा विश्वेश्वर रेड्डी
28. श्री डी. एम. कथीर आनंद
29. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
30. डॉ. राजकुमार सांगवान
31. श्री इमरान मसूद
32. श्री जगदम्बिका पाल
33. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
34. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
35. श्री हनुमान बेनीवाल
36. श्री सुदामा प्रसाद
37. डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिंगकोण
38. श्री मणिकम टैगोर बी.
39. श्री सुधीर गुप्ता
40. श्री अंगोमचा बिमोल अकोइजम

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

रात्रि 11.58 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 02 जुलाई, 2024/ 11 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 7

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) की ओर से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति सातवां (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2024 जो दिनांक 20 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1490(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (पूर्व-स्नातक सिद्धा कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 18-12/2021-बीयूएसएस(एसआईडी-यूजी-एमईएस) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (पूर्व-स्नातक आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.बीओए/2-सी/2024 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 28 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या फा.सं.बीओए/2-सी/2024 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

- (2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 35/2021/एनसीएच/एनसीबी/एमईएस.सी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 3-42/2021/एनसीएच/एचईबी /पीजी.रेग. में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 10-2-/एमएआरबीएच/एनसीएच/2023-24 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्था की स्थापना (चिकित्सा संस्था द्वारा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमएसआर.सी. में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अंतर्रोधन, मॉनीटरिंग और विगूढन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.133(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सूचना प्रौद्योगिकी (न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अर्हता तथा अनुभव और जांच करने की रीति) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.808(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) गुजरात स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) (एक) नेशनल कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आणंद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (2) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (3) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) योजना, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (4) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (5) कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (संशोधन) योजना, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुई थी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) चिल्ड्रेंस फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चिल्ड्रेंस फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए सेवा शर्तें और प्राधिकारी (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी(2). में प्रकाशित हुए थे।
(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक तथा संबद्ध पद) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन-10/12/2013-पीपीसी/पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक-प्रशासन भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक

20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी(1) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024, जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) चलचित्र (शास्ति का न्याय निर्णयन) नियम, 2024, जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.5452(अ) जो दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ.5453(अ) जो दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ.5468(अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ.5469(अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ.5470(अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ.5471(अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ.170(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

- हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ.171(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ.172(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ.254(अ) जो दिनांक 18 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में, उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ.304(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और हरियाणा राज्यों में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ.305(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा का.आ. 3032 (अ) दिनांक 22 जून, 2018 की अधिसूचना को निरस्त किया गया है।
- (तेरह) का.आ.306(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा का.आ. 1457(अ) दिनांक 9 मई, 2017 की अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का.आ.430(अ) जो दिनांक 2 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू संघ राज्यक्षेत्र में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 701क की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ.686(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 913 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) का.आ.692(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ.765(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ.806(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ.807(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

- (पैंतालीस) का.आ.2266(अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महारष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (चौदह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) भारतीय रेल (ओपन लाईन्स) सामान्य (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 160(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(दो) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोला जाना) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत रेल सेवक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुशासनात्मक जांच का संचालन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसका आशय पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 3250 रुपए/एमटी से बढ़ाकर 6000 रुपए/एमटी करने के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 17/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में

संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखा*।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेश के निदेश 1 में नया खंड (3) जोड़ा जाना

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश 1 के नये खंड (3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग संख्या 46) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 143वें और 154वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में।
- (2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग संख्या 47) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 144वें और 152वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में।

(दो) आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) की ओर से आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग संख्या 4) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 145वें और 153वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

* अपराह्न 2.09 बजे।

पूर्वाहन 11.07 बजे

4. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा असम के दरांग जिले के लिए रेल संपर्क के बारे में।
2. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा रेलगाड़ी (सं. 20503/04) को गोरखपुर के रास्ते चलाए जाने के बारे में।
3. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा गोपालपुर को संबलपुर रेल लाइन के साथ फूलबनी से जोड़ने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाए जाने और रेल अवसंरचना के विकास के बारे में।
6. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा इडुक्की में फसल खराब होने से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री शफी परम्बिल द्वारा वडाकरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क परियोजना को पूरा किए जाने के बारे में।
8. श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोहागढ़ (शंकरगढ़) रिफाइनरी का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. अमर सिंह द्वारा लुधियाना में हलवारा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना के प्रचालन के बारे में।
10. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के शमशुद्दीनपुर में पक्की डाइवर्जन सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री राजीव राय द्वारा नीट (यूजी) और यूजीसी (नेट) के लिए निष्पक्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलाई के बरास्ते वेल्लूर से विल्लुपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग-38 को चार लेन का बनाए जाने के बारे में।
13. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे द्वारा पुणे-नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को पूरा किए जाने के बारे में।

14. श्री अमरा राम द्वारा सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के बारे में।
15. श्री राजकुमार रोट द्वारा डूगरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।
16. श्री राजेश रंजन द्वारा पूर्णिया विमानपत्तन हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

5. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- स्वीकृत

लिया गया समय: 18 घंटे 48 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 1 जुलाई, 2024 को पेश किए गए और कुमारी बाँसुरी स्वराज द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए: -

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 27 जून, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अखिलेश यादव
2. श्री संतोष पांडेय
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सौमित्र खान
5. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
6. श्री के. सी. वेणुगोपाल
7. श्री दिलीप शङ्कीया
8. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
9. श्री अजय भट्ट

10. *श्री विनोद लखमशी चावड़ा
11. * डॉ. आलोक कुमार सुमन
12. * श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
13. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
14. * श्री वीरेन्द्र सिंह
15. * श्री नरेश गणपत म्हस्के
16. * श्री दिलेश्वर कामैत
17. * श्रीमती मंजू शर्मा
18. * श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
19. * डॉ. धर्मवीर गांधी
20. * श्रीमती स्मिता उदय वाघ
21. * मोहम्मद जावेद
22. * श्री मितेश पटेल (बकाभाई)
23. * श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
24. * डॉ. लता वानखेड़े
25. * एडवोकेट डीन कुरियाकोस
26. * श्री कौशलेन्द्र कुमार
27. * श्री वी. के. श्रीकंदन
28. * डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा
29. * श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी
30. * डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
31. * श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
32. * श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही
33. * श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

34. * श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान
35. * श्री सनातन पांडेय
36. * श्रीमती सुप्रिया सुले
37. * डॉ. टी. सुमति (उर्फ) तामिझाची थंगापंडियन
38. श्री लालजी वर्मा
39. श्री पी. पी. चौधरी
40. श्री असादुद्दीन ओवैसी
41. श्री गौरव गोगोई
42. श्री इन्द्रा हांग सुब्बा
43. श्रीमती लवली आनंद
44. एडवोकेट चन्द्र शेखर
45. श्रीमती अपराजिता सारंगी
46. श्री आनंद भदौरिया
47. श्री के. सुब्बारायण
48. डॉ. थोल तिरुमावलवन
49. श्री बायरेड्डी शबरी
50. श्री अवधेश प्रसाद
51. श्री निशिकान्त दुबे
52. *डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
53. * श्री हंसमुखभाई पटेल (एच. एस. पटेल)
54. * श्रीमती मालविका देवी
55. * श्री अरुण कुमार सागर
56. * श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
57. *श्री विजय कुमार हांसदाक

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

58. *डॉ. सी. एन. मंजूनाथ
59. * श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
60. * श्री रमाशंकर राजभर
61. * श्री अशोक कुमार रावत
62. * डॉ. के. सुधाकर
63. * श्री के. नवासखनी
64. * श्री सी. एन. अन्नादुरई
65. * श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
66. * श्री राहुल कस्वां
67. * श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
68. * श्री राम शिरोमणि वर्मा
69. * श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
70. * श्री राजू बिष्ट
71. * श्री राजकुमार रोट
72. * श्री शंकर लालवानी
73. * कैप्टन बृजेश चौटा
74. * श्री कुलदीप इंदौरा
75. * श्री तेजस्वी सूर्या
76. * डॉ. मल्लू रवि
77. * श्री जयन्त बसुमतारी
78. * श्री राधाकृष्ण
79. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
80. श्री दुरई वाइको
81. श्री मनोज तिवारी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

82. * श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'
83. * श्री विष्णु दयाल राम
84. * श्री देवेन्द्र सिंह भोले
85. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद
86. * श्री आलोक शर्मा
87. * श्री खगेन मुर्मु
88. * श्री बृजमोहन अग्रवाल
89. * श्री बिद्युत बरन महतो
90. * श्री विशाल प्रकाशबापू पाटील
91. * श्री संजय उत्तमराव देशमुख

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. संकल्प^९ - स्वीकृत

श्री राज नाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री के उत्तर के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों के आचरण और व्यवहार की निंदा करती है।"

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सायं 6.30 बजे

7. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने अट्ठरहवीं लोक सभा के पहले सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

सायं 6.35 बजे

8. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

^९ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सायं 6.37 बजे

(लोक सभा सायं 6.37 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव